भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 418

गुरुवार, 28 नवम्बर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक)

भारतीय कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी

418. श्रीमती सागरिका घोष:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षा में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत क्या है**;**

(ख) भारत के श्रम बल में वर्तमान में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है और कितनी सक्रिय रूप से काम की तलाश कर रही हैं**;** और

(ग) देश में महिलाओं के बीच रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग)**:** आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार**,** वर्ष 2017-18 से 2023-24 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का रोजगार और श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) निम्नानुसार है:

सर्वेक्षण वर्ष	डब्ल्यूपीआर **(%)**	एलएफपीआर **(%)**
2017-18	22.0	23.3
2018-19	23.3	24.5
2019-20	28.7	30.0
2020-21	31.4	32.5
2021-22	31.7	32.8
2022-23	35.9	37.0
2023-24	40.3	41.7

स्रोत: पीएलएफएस

आंकड़ों दर्शाते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में श्रम बल और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहन देने और बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें/उपाय किए हैं।

सरकार ने महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में कई प्रावधान जैसे सवैतनिक मातृत्व अवकाश, कार्य के लचीले घंटे, समान वेतन आदि शामिल किए हैं।

सरकार महिला एलएफपीआर को बढ़ावा देने के साथ-साथ समग्र एलएफपीआर को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं-किरण (डब्ल्यूआईएसई-किरण), एसईआरबी-पावर (अन्वेषणात्मक अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन आदि कार्यान्वित कर रही है। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा **https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes** पर देखा जा सकता है।

महिला कामगारों की नियोजनीयता में क्षमता बढ़ाने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने बजट 2024-25 में 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए, रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करने हेतु 5 योजनाओं और पहलों संबंधी प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा की है। बजट में अन्य नीतिगत उपायों के अलावा, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टल और शिशु गृह स्थापित करने की भी घोषणा की गई है।

*****